

शासकीय नागार्जुन स्नानकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

I. एंटी रैगिंग पॉलिसी

01. यू.जी.सी. द्वारा रैगिंग पर रोक लगाने के लिये कठोर नियम बनाये हैं (Section 3 of the UGC Act 1956) जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के अकादमिक परिसर, क्रीडा मैदान, छात्रावास एवं संपूर्ण कैम्पस में रैगिंग प्रतिबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों एवं छात्रों के लिये रैगिंग संबंधी सख्त दिशा निर्देश जारी किये हैं (2009)। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रैगिंग अपराध है। रैगिंग सभी स्वरूपों में महाविद्यालय अथवा परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित है।

02. वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों को रैगिंग विरोधी कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

03. यू.जी.सी. ने रैगिंग को लेकर कड़े नियम बनाये हैं जिसके तहत निम्न प्रकार के व्यवहार को रैगिंग माना जायेगा—

रैगिंग का अर्थ है किसी भी तरह का अव्यवस्थित आचरण जिससे जूनियर छात्र को शारीरिक, मानसिक नुकसान की आशंका हो।

रैगिंग का अर्थ है शैक्षणिक संस्थानों में नवप्रवेशित छात्रों से उच्चश्रृंखल आचरण करना।

रैगिंग की परिभाषा —

- छात्र के स्वरूप या उसके पहनावे पर टिप्पणी की जाये या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाये।
- किसी छात्र को उसकी क्षेत्रियता, भाषा या फिर जाति के आधार पर अपमानित किया जाये
- छात्र की नस्ल या फिर पारिवारिक अतीत पर अभद्र टिप्पणी की जाये
- नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं को परेशान करना या अपमानजनक कार्य करवाना
- कोई भी अव्यवस्थित आचरण चाहे वह बोले गये या लिखित शब्दों के द्वारा हो, जो किसी ऐसे कृत्य से हो जिसमें किसी फ्रेशर या जूनियर छात्र को चिढ़ाने, कठोर व्यवहार करने या अशिष्टता से निपटने का प्रभाव हो।
- उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना जो किसी फ्रेशर या जूनियर छात्र में झुंझलाहट या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण बनता है या ऐसी आशंका पैदा करता है।
- असभ्य सवाल करना जो शर्म या शर्मिंदगी की भावना पैदा करे जिससे जूनियर छात्र पर मानसिक प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

II. रैगिंग के दंडनात्मक घटक :-

1. किसी अनुचित कार्य हेतु बहकाना/उकसाना/आपराधिक षडयंत्र
2. गैरकानूनी सभा एवं दंगे भड़कना
3. सामाजिक उपद्रव करना अथवा उकसाना
4. शिष्टता एवं नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करना
5. मानसिक आघात एवं शारीरिक चोट पहुंचाना
6. गलत तरीके से प्रतिबंधन करना
7. गलत तरीके से बंदी बनाना
8. आपराधिक बल प्रयोग करना
9. यौन अपराध करना
10. जबरन वसूली करना
11. आपराधिक अतिचार करना
12. आपराधिक धमकी देना
13. शब्दों, ई-मेल, ब्लॉग आदि के माध्यम से प्रताड़ित करना
14. नवप्रवेशित की अकादमिक गतिविधि अवरुद्ध करना ।

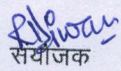
III. रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर दंड

जो भी छात्र परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से रैगिंग में लिप्त पाया जायेगा उसे दंडित किया जायेगा। दंड निम्नानुसार कोई एक अथवा संयुक्त रूप से दिया जा सकता है -

1. कक्षाओं एवं अन्य अकादमिक विशेषाधिकारों से निलंबन
2. छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ रोकना
3. कैपस प्लेसमेंट के अवसरों से वंचित करना
4. किसी परीक्षा/टेस्ट या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना
5. परीक्षा परिणाम रोकना
6. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट, युवा उत्सव आदि से वंचित करना
7. हॉस्टल से निलंबन/निष्कासन
8. विशिष्ट अवधि के लिये महाविद्यालय से निष्कासन करना
9. प्रवेश रद्द करना
10. 5000 रुपये का आर्थिक दंड/जेल अथवा दोनों
11. रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करना।

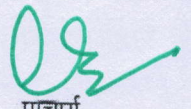
IV. महाविद्यालय में रैगिंग रोकने हेतु किये जा रहे उपाय -

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है
2. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु भरे जाने वाले प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित है कि रैगिंग दण्डनीय अपराध है
3. प्रवेश के समय प्रवेशित छात्र/छात्रा से लिखित एवं हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग (शपथ) ली जाती है कि रैगिंग प्रतिबंधित है एवं लिये जाने पर उसके विधिक दंड ज्ञात है।
4. प्रवेशित छात्र/छात्रा के पिता/पालक से भी अंडरटेकिंग ली जाती है कि उन्हें भी रैगिंग संबंधित विधिक दंड की जानकारी है।
5. छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अलग से अंडरटेकिंग/शपथ पत्र देना आवश्यक हैं।
6. प्रतिवर्ष नया अकादमिक सत्र प्रारंभ होते ही इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें रैगिंग संबंधी संपूर्ण जानकारी नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं को दी जाती है।
7. प्रतिवर्ष नये अकादमिक सत्र में प्राचार्य द्वारा प्राध्यापक, हॉस्टल वार्डन, छात्रों एवं सहयोगी स्टॉफ को सम्मिलित कर एंटी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है ताकि रैगिंग संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जा सके।
8. एंटी रैगिंग स्क्वाड का मनोनयन प्राचार्य द्वारा किया जाता है जिसमें महाविद्यालय परिसर के विभिन्न सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिससे परिसर में निगरानी की जा सके।
9. रैगिंग को रोकने हेतु मेंटर्स का निगरानी प्रकोष्ठ रैगिंग रोकने हेतु प्राचार्य द्वारा गठित किया जाता है।
10. रैगिंग रोकने हेतु विशिष्ट स्थानों पर पोस्टर/बोर्ड का प्रदर्शन किया जाता है।
11. नवप्रवेशित छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि परिसर में वे समूह में रहें एवं अवांछित फोन अथवा बुलावे पर ध्यान न दें।
12. छात्र शिकायत पेटी में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।


संयोजक

एंटी रैगिंग समिति

शास.नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)


प्राचार्य

शास.नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)